श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर एट भोपाल म0प्र0।

प्रकरण कमांक ....../~~अपील~~ निगरानी/2017–18

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4942

1:– अख्तर खॉ आत्मज श्री अहमद खॉ आयु वयस्क

2:– जफर खॉ आत्मज श्री अहमद खॉ आयु वयस्क

समस्त निवासी ग्राम टिकनखेड़ी तहसील बैरसिया

जिला भोपाल म0प्र0 ....आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

मुमताज खॉ आत्मज सरदार खॉन आयु

वयस्क, निवासी ग्राम टिकनखेड़ी तहसील

बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0 ....प्रत्यर्थी/अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

श्रीमानजी,

आवेदकगण, राजस्व प्रकरण कमांक 80/अ–12 /2015–2016 (मुमताज विरूद्ध सर्वसाधारण) अंतर्गत – धारा 129 भू0रा0संहिता में सीमाकंन कार्यवाही दिनांक – 10/6/2017 को किये गये सीमाकंन के विरूद्ध यह – निगरानी आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1:– यह कि, प्रत्यर्थी/अनावेदक ने अपनी भूमि खसरा कमांक 70/2 क्षेत्रफल 0.457 हे0 का सीमाकंन करने हेतु दिनांक 2/6/2016 को आवेदन राजस्व – निरीक्षक वृत–2 बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0 के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर उक्त प्रकरण दर्ज कर सीमाकंन की तिथि नियत कर सूचना पत्र जारी करने हेतु नियत पेशी दिनांक 9/2/2017 की गई और आर्डरशीट दिनांक 9/2/2017 ई0 के अनुसार सीमाकंन की तिथि दिनांक 10/7/2017 नियत की जाकर सीमावर्ती कृषको को – सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये थे।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (3)

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4942

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-5-2019	आवेदकगण द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10-6-17 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 30-11-17 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । उभय पक्षों को सुना गया । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन दिनांक 10-7-17 की कोई सूचना आवेदकगण को नहीं दी गई है और न ही सूचना पत्र की तामील कराई गई है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन की जानकारी दिनांक 28-7-17 को होने पर सत्यप्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 9-8-17 को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर निगरानी समयावधि में प्रस्तुत की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण के स्वामित्व की भूमि से स्वयं के रास्ते हेतु उसके स्वामित्व की भूमि का अदला-बदली किए जाने का अनुबंध किया गया था किन्तु अनावेदक द्वारा अनुबंधित भूमि का अवैधानिक तरीके से सीमांकन कराया गया है । उनके द्वारा विलम्ब क्षमा किया जाकर गुण-दोष के आधार पर निगरानी का निराकरण करने का अनुरोध किया गया । 2/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा समस्त पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाकर विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण सहित समस्त पड़ोसी कृषकों को सीमांकन की सूचना दी जाकर दिनांक 10-6-17 को ई.टी.एस. मशीन से विधिवत सीमांकन किया गया है । आवेदकगण द्वारा आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 9-8-17 को प्राप्त होने के उपरांत भी दिनांक 30-11-17 को विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के उपरांत उन्हें अविलम्ब निगरानी प्रस्तुत करना चाहिए था । आवेदकगण द्वारा प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया है, जबकि प्रतिदिन के	

विलम्ब का विवरण देना आवश्यक है । इस सम्बन्ध में 1989 आर.एन. 243 गोदावरीबाई विरूद्ध विमलाबाई में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5--विलंब के लिए माफी देना–प्रत्येक दिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया–पर्याप्त कारण साबित नहीं किया गया–पर्याप्त कारण के विषय में निष्कर्ष दिये बिना विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती ।"

उपरोक्त निष्कर्ष एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।

अध्यक्ष